

गृह (गुप-3) विभाग  
राजस्थान सरकार  
जयपुर  
787  
2/5/19  
क्रमांक:-प. 3(9)गृह-1/2007

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक:-26.04.2019

आज्ञा

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.03.2019 की अभिशंषा-अनुसार निम्नांकित अतिरिक्त निदेशकों को उनकी सेवानिवृत्ति उपरान्त योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध निदेशक के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	पदोन्नत अधिकारी का नाम	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	डॉ0 विनोद जैन	2016-17	01.04.2016	पदोन्नत अधिकारी की दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्ति।
2.	डॉ0 शैलेन्द्र झा	2018-19	01.04.2018	पदोन्नत अधिकारी की दिनांक 30.09.2018 को सेवानिवृत्ति।

यह पदोन्नति आदेश लोकसभा आम चुनाव, 2019 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1)(7) /निर्वा/2019/5115 दिनांक 25.04.2019 के द्वारा प्रदत्त अन्नापत्ति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

Sd/-  
(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति० मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (गुप-6) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत निदेशक, एफ.एस.एल., राज० जयपुर।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

26/4/19  
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस